देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 17 अंक: 48 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...तेजस्वी की क्यों हो रही चर्चा

पेज थ्री

देहरादून, शनिवार, 21 मई 2022

मौसम अधिकतम 33.0° न्यूनतम 22.0° | 42243.43 | 2 बदहाली के कगार पर पाकिस्तान | 7 रवि शास्त्री के अतरंगी अंदाज

शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नमाज भी रहेगी जारी

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला जिला अदालत को किया ट्रांसफर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कोई अनुभवी और वरिष्ठ जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का उसका 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का फैसला किया है।

हिंदू पक्ष के वकील ने कहा, हम आदेश से खुश

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मामला वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसका 17 मई का शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा का आदेश जारी रहेगा। वुजू के इंतजाम करने को कहा गया है। हम इस आदेश से खुश हैं।

शुक्रवार को सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को जिला न्यायाधीश वाराणसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा अधिक अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। हम ट्रायल जज पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिक अनुभवी हाथ को इस मामले से निपटना चाहिए और इससे सभी पक्षों को फायदा होगा।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मस्जिद के अंदर पूजा के मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जाए। जिला न्यायाधीश मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला करेंगे कि हिंदू पक्ष द्वारा मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। तब तक अंतरिम आदेश– शशिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा, नमाज के लिए मुसलमानों को प्रवेश जारी रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 के तहत धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं है। अदालत ने कहा, भूल जाएं कि एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ मंदिर। मान लीजिए कि यहां एक पारसी मंदिर है और कोने में एक क्रॉस है। क्या अग्यारी की मौजूदगी क्रॉस को अग्यारी या अग्यारी को ईसाई बनाती है?

मस्जिद कमेटी के वकील की दलील

सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा शुरू से ही पारित सभी आदेश बड़ी सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने में सक्षम हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रेस को बात लीक न करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद जानकारी लीक नहीं हो सकती। प्रेस को बात लीक न करें, केवल जज ही रिपोर्ट खोलते हैं। अदालत ने कहा कि ये जटिल सामाजिक समस्याएं हैं और इंसान के तौर पर कोई भी समाधान सटीक नहीं हो सकता। हमारा आदेश कुछ हद तक शांति बनाए रखना है और हमारे अंतरिम आदेशों का उद्देश्य थोड़ी राहत देना है। हम देश में एकता की भावना को बनाए रखने के संयुक्त मिशन पर हैं।

शीर्ष आदालत ने दिया यह आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की ट्रायल कोर्ट को नंदी के सामने बनी दीवार को न गिराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में फिलहाल कोई भी आदेश ना दिया जाए। वहीं शीर्ष न्यायालय ने वाराणसी कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए टालने को कहा था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई टालने का विरोध किया था। उनका कहना था कि अगर सुनवाई टाली जाती है तो देश में कई और ऐसे मामले डाले जा सकते हैं। वाराणसी कोर्ट की तरफ से नियुक्त स्पेशल असिस्टेंट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने सर्वे रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश कर दी है। सर्वे रिपोर्ट 10–15 पेज की है।

संक्षिप्त समाचार

एफडीआइ ने तोड़े सारे रिकार्ड

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021–22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 2021–22 में 83. 57 अरब अमेरिकी डालर का उच्चतम वार्षिक एफडीआइ यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है। मालूम हो कि साल 2020–21 में यह आमद 81.97 अरब अमेरिकी डालर थी।

मानसून जल्द ही केरल में देने वाला है दस्तक

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जल्द पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून केरल की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के मध्य तक प्रदेश में इसके दस्तक देने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि सप्ताह के अंत तक केरल में दक्षिण–पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी।

यात्रियों की सुविधा का रखा जाए ध्यान

सीएम ने की जनपद हरिद्वार के विकास कार्यों की समीक्षा

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डामकोठी हरिद्वार में जनपद से संबंधित विकास कार्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से कूड़ा निस्तारण, सफाई व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली।

नगर निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 160 नाले हैं, उनकी सफाई का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, जिसके लिये 124 सफाईकर्मियों लगाये गये हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी बताया कि शहर में एक दिन में तीन टाइम सफाई–व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर अधिकारियों ने अस्पतालों की व्यवस्थायें आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों की सफाई व्यवस्था चाक–चौबन्द रहनी चाहिये। कभी भी अस्पतालों, नगर निगम की सफाई व्यवस्था तथा कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति आदि का औचक निरीक्षण किया जा सकता है । अगर औचक निरीक्षण के दौरान कहीं पर भी कोई कमी पाई जाती है, तो सम्बन्धित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालयों में बॉयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के भी निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा हरिद्वार में किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के सम्बन्ध में भी अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की।

पटियाला जेल हुआ नवजोत सिंह सिद्धू का नया पता

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 34 साल पुराने रोड रेज मामले में एक वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पटियाला जेल ले आया गया है। अब उनका नया पता केंद्रीय सुधार गृह पटियाला होगा। उनको आम कैदी की तरह गाड़ी में जेल के अंदर ले जाया गया।

कैदी नंबर से जेल में होगी पहचान

रंगीन व स्टाइलिश कपड़ों के शौकीन को सिद्धू को जेल की सफेद पोशाक पहननी होगी। जेल में तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनको कैदी नंबर मिलेगा और जेल में उनकी यही पहचान होगी। उनको जेल में काम भी करना होगा और आम कैदियों की तरह रहना होगा। उनको कोई वीआइपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जेल में उनको कौन सा काम अलाट किया जाता है यह देखना होगा। जेल में काम करने का प्रतिदिन 90 रुपये का मेहताना भी मिलता है, लेकिन नए कैदी के लिए एक से तीन माह की ट्रेनिंग अवधि होती है और इस अवधि के लिए मजदूरी नहीं दी जाती है।

सजा

- मेडिकल के बाद केंद्रीय सुधार गृह लाया गया

इससे पहले सिद्धू ने पटियाला में सरेंडर किया है। इसके बाद उनको मेडिकल कराने के लिए माता कौशल्या अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका मेडिकल पूरा होने के बाद उनको पटियाला जेल ले जाया गया। इससे पहले कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कानूनी प्रक्रिया हुई। इसके बाद उनको मेडिकल कराने के लिए पंजाब पुलिस की बस में माता कौशल्या अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उनको पटियाला जेल ले जाया गया। कोर्ट परिसर में नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी दिखीं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। सिद्धू के करीबियों का कहना है कि सिद्धू को लीवर की तकलीफ है और उनके पैर में भी दिक्कत है।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

अब सैनिकों की भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ही होगी!

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा फाइनल कर ली गई है। इसी महीने इसका ऐलान करने की तैयारी है। यह तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा।

4 साल के लिए होगी सेना में भर्ती, 6 महीने की होगी ट्रेनिंग

सूत्रों के मुताबिक टीओडी के तहत जितने युवाओं की भर्ती होगी वह चार साल के लिए ही होगी। बाद में तय किया जाएगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है। कौन परमानेंट होगा इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा, जो सैनिकों की प्रफेशनल दक्षता के आधार पर उनका चयन करेगा।

एक अधिकारी के मुताबिक, जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमिशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें से भी करीब 20–25 पर्सेंट को ही परमानेंट कमिशन मिल पाता है।